इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 नवम्बर 2024—कार्तिक 17, शक 1946

भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2024

क्रमांक एफ 1/1/34/0001/2023/18—5, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश तृतीय श्रेणी लिपिकवर्गीय तथा अलिपिकवर्गीय (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2023 में निम्नलिखित संशोधन करते है, अर्थात :—

संशोधन

उक्त नियमों में

(1) नियम 11 में :—

(एक) उप—नियम (2) अंक तथा चिन्ह 33 प्रतिशत के स्थान पर अंक तथा चिन्ह "35 प्रतिशत" स्थापित किए जाएं।

(दो) उप—नियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित उप—नियम स्थापित किया जाए, अर्थात :—

(6) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 22 जुलाई 2023 के अनुसार 50 प्रतिशत पद संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए आरक्षित होंगे।

(2) अनुसूची—तीन में, —
(एक) अनुक्रमांक 1 में कॉलम (5) में, बिन्दु क्रमांक 1 के स्थान पर, निम्नलिखित बिंदु क्रमांक 1 स्थापित किया जाए, अर्थात :—
"1 वास्तुकला/सिविल अभियांत्रिकी में तीन वर्ष का डिप्लोमा अथवा डिग्री अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से निवेश में स्नातक उपाधि (4 वर्ष की अवधि)"
(दो) अनुक्रमांक 3 में, कॉलम (5) में बिन्दु क्रमांक 1 के स्थान पर निम्नलिखित बिंदु क्रमांक 1 स्थापित किया जाए, अर्थात :—
"1. वास्तुकला/सिविल अभियांत्रिकी में तीन वर्ष का डिप्लोमा अथवा डिग्री अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से निवेश में स्नातक उपाधि (4 वर्ष की अवधि)"
(2) अनुसूची—चार में, —
विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20.09.2023 जो कि दिनांक 29.09.2023 को राजपत्र में प्रकाशित हुई है के अनुसूची चार (हिन्दी) के सरल क्र. 11 पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है।

अनु. क्र.	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है।	विभागीय पदोन्नति के लिये अपेक्षित अनुभव एवं योग्यता	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
11	निज सचिव	स्टॉफ ऑफिसर	निज सचिव के पद पर 05 वर्ष का अनुभव		

वर्तमान अनुसूची के सरल क्रमांक—11 से 13 पुनर्क्रमांकित कर 12 से 14 तक पढ़ा जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद कुमार शुक्ला, उपसचिव.

Bhopal, the 5th November 2024

F 1/1/34/0001/2023/18—5, In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Town and Country Planning Class-III Ministerial and Non-ministerial (Non- Gazetted) Service Recruitment Rules, 2023, namely:

AMENDMENTS

In the said rules,

(1) In rule 11,

(1) In sub-rule (2), for the figure and symbol "33%" the figure and symbol "35%" shall be substituted.

(ii) For sub-rule (6), the following sub-rule shall be substituted, namely:

"(6) As per the Circular dated 22 July, 2023 of the General Administration Department, 50% posts shall be reserved for the employees appointed on contract basis.".

(2) In Schedule-III,-

(i) In serial number 1, in column (5), for point number 1., the following point number 1. shall be substituted, namely:-
"1. Three years' Diploma or Degree in Architecture/ Civil Engineering or Bachelor's Degree in Planning (Four years' duration) from any recognized Institute."

(ii) In serial number 3, in column (5), for point number 1, the following point number 1, shall be substituted, namely:

"1. Three Years' Diploma or Degree in Architecture/ Civil Engineering or Bachelor's Degree in Planning (Four Years' duration) from any recognized Institution."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
PRAMOD KUMAR SHUKLA, Dy. Secy.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2024

क्रमांक एफ 01–06/2019/तीस:::: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना एफ क्रमांक 1–23–96–0–तीस, दिनांक 13 फरवरी, 1998 को अतिष्ठित करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, संस्कृति सचालनालय (शासकीय संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय, मध्यप्रदेश) में चतुर्थ श्रेणी सेवा में भरती का तरीका तथा क्षेत्र को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं. अर्थात :–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. –**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शासकीय संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय चतुर्थ श्रेणी सेवा भरती नियम, 2024 है।

(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.–** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.–

(क) ''समिति'' से अभिप्रेत है. अनुसूची के कॉलम (12) में यथा उल्लिखित समिति,

(ख) ''संचालक''से अभिप्रेत है, संचालक, संस्कृति संचालनालय:

(ग) ''शासन'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन,

(घ) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है. मध्यप्रदेश के राज्यपाल,

(ङ) ''अन्य पिछड़ा वर्ग'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना एफ–8–5–पच्चीस–4–84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग,

(च) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची,

(छ) ''अनुसूचित जाति से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवश या जनजाति अथवा किसी जाति मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का समूह, जिसे भारत के सविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियो के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है.

(ज) ''अनुसूचित जनजाति'' से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अभया किसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का समूह जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(झ) ''सेवा'' से अभिप्रेत है, शासकीय संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय चतुर्थ सेवा।

3. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि :—** सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, भरती का तरीका, आयु सीमा तथा अन्य विषय, अनुसूची के कॉलम (3) से (12) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होंगे।

4. **आरक्षण. —** (1) सीधी भरती के पदों के लिए, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए 16% पद और अनुसूचित जनजातियों के लिए 20% पद, आरक्षित होंगे। मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 2 सितम्बर, 2021 के अनुसार अथवा शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेश के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 27% पद आरक्षित होंगे।

(2) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पदोन्नति में आरक्षण तथा विचारण क्षेत्र के विस्तार की सीमा) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा।

(3) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक सी–3–8–2015–एक, दिनांक 3 अक्टूबर, 2023 के अनुसार, 35ः पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे।

(4) विभाग में सीधी भर्ती के नियमित पदों के समकक्ष सविदा पदों पर 5 वर्ष की निरतर सेवा पूर्ण करने वाले सविदा कर्मचारियों की कुल संख्या का पचास प्रतिशत या विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पदों के 50ः तक (जो भी कम हो), मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी–5–2/2018/1/3, दिनांक 22 जुलाई 2023 द्वारा संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आरक्षित होंगे। इन निदेशों या पूर्व संदर्भित निदेशों के अधीन आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ उठाने के पश्चात् वे दुबारा लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

(5) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–07–11/2019/आ.प्र./एक, दिनांक 2 जुलाई, 2019 तथा परिपत्र क्रमांक एफ–07–11/2019/आ.प्र./एक, दिनांक 18 जुलाई, 2019 अथवा समय–समय पर जारी किसी अन्य आदेश के अनुसार कुल रिक्त पदों के 10 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।

5. **परिवीक्षा.—** सीधी भर्ती द्वारा सेवा में चयनित प्रत्येक व्यक्ति तीन वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा। इस अवधि के दौरान प्रथम वर्ष के लिए पद के न्यूनतम वेतनमान की 70 प्रतिशत द्वितीय वर्ष के लिए 80 प्रतिशत तथा तृतीय वर्ष के लिए 90 प्रतिशत राशि वेतन के रूप में देय होगी। वेतनमान में वेतन परिवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात् प्रारंभ किया जाएगा।

6. **निर्वचन.—** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे संचालक, संस्कृति संचालनालय के माध्यम से सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

7. **शिथिलीकरण.—** इन नियमों की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की, ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण प्रतीत होती हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती हैं। परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नही निपटाया जाएगा, जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो।

8. **व्यावृत्ति. —** इन नियमों में की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा सेवाकाल के दौरान मृत ऐसे सरकारी कर्मचारियों के परिवार के किसी सदस्य, जिसकी सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो गई हो, को अनुकम्पा नियुक्ति, दिव्यांग व्यक्तियों तथा अन्य श्रेणियों के अन्य व्यक्तियों के लिए उपबंधित आरक्षण तथा छूट पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी तथा वे इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे।

9. **निरसन तथा व्यावृत्ति.—** इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियम इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्वारा निरसित किए जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

अनुसूची

क्र	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	सीधी भरती द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	सीधी भर्ती के लिए		परीविक्षा की कालावधि	क्या पदोन्नति के मामले में वही आयु और शैक्षणिक अर्हताऐं लागू होगी जैसा कि सीधी भरती के लिए लागू है।	पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में वह पद जिससे पदोन्नति की जाएगी।	सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के लिए समिति
						आयु	शैक्षणिक अर्हताऐं				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12
क. शासकीय संगीत महाविद्यालय											
1	भृत्य	16	चतुर्थ	लेबल–1 15500–49000 (4440–7440+1300)	100%	18 वर्ष से 40 वर्ष	8 वी उत्तीण	3 वर्ष	–	–	1. उपसंचालक – अध्यक्ष 2. सहायक संचालक – सदस्य, 3. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का सहायक संचालक – सदस्य
2	चौकीदार	09	चतुर्थ	लेबल–1 15500–49000 (4440–7440+1300)	100%	18 वर्ष से 40 वर्ष	8 वी उत्तीण	3 वर्ष	–	–	–तदैव –
3	स्वीपर	04	चतुर्थ	लेबल–1 15500–49000 (4440–7440+1300)	100%	18 वर्ष से 40 वर्ष	8 वी उत्तीण	3 वर्ष	–	–	–तदैव –
ललित कला शिक्षा											
1	भृत्य	15	चतुर्थ	लेबल–1 15500–49000 (4440–7440+1300)	100%	18 वर्ष से 40 वर्ष	8 वी उत्तीण	3 वर्ष	–	–	1. उपसंचालक – अध्यक्ष 2. सहायक संचालक – सदस्य, 3. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का सहायक संचालक – सदस्य
2	चौकीदार	05	चतुर्थ	लेबल–1 15500–49000 (4440–7440+1300)	100%	18 वर्ष से 40 वर्ष	8 वी उत्तीण	3 वर्ष	–	–	–तदैव –
3	स्वीपर	01	चतुर्थ	लेबल–1 15500–49000 (4440–7440+1300)	100%	18 वर्ष से 40 वर्ष	8 वी उत्तीण	3 वर्ष	–	–	–तदैव –

टिप्पणी :–

1. न्यूनतम/अधिकतम आयु सीमा समय–समय पर यथा संशोधित मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र.सी–3–8/2016/1/3, दि. 04 जुलाई, 2019 के अनुसार होगी।
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी/नगर सैनिक/निःशक्तजन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए 18 से 45 वर्ष होगी (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट)।
3. सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।

4. <u>संगीत शिक्षा</u> :

(क) भृत्य – संगीत शिक्षा में भृत्य के कुल पदों का विभाजन 10+1+4+1= 16 होगा।

(ख) चौकीदार – संगीत शिक्षा में चौकीदार के कुल पदों का विभाजन 6+1+2= 9 होगा।

(ग) स्वीपर – संगीत शिक्षा में स्वीपर के कुल पदों का विभाजन 1+3= 4 होगा।

5. <u>ललित कला शिक्षा</u> :

(क) भृत्य – ललित कला शिक्षा में भृत्य के कुल पदों का विभाजन 12+2+1= 15 होगा।

(ख) चौकीदार – ललित कला शिक्षा में चौकीदार के कुल पदों का विभाजन 3+2= 5 होगा।

(ग) स्वीपर – महाविद्यालय के स्थानांतरण पर, आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 570/ 2922/06/02/38, दिनांक 4 अप्रैल, 2007 के अनुसार स्वीपर का 1 पद नियमों में सम्मिलित किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुनील दुबे, उपसचिव.

No.F-01-06-2019-XXX Bhopal, the 30th October 2024

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and in supersession of this department's Notification F.No. 1-23-96-0.-XXX, dated 13th February, 1998, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following rules to regulate the method and scope of recruitment to the Class-IV service in the Directorate of Culture (Government Music and Fine Arts College, Madhya Pradesh), namely-

RULES

1. Short title and commencement.-

(1) These rules may be called the Government Music and Fine Arts College Class-IV Service Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Committee" means the Committee as mentioned in column (12) of the Schedule;

(b) "Director" means the Director, Culture Directorate;

(c) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(d) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;

(e) Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time;

(f) "Schedule" means Schedule appended to these rules;

(g) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of group within caste, race or tribe specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under article 341 of the Constitution of India;

(h) "Scheduled Tribes" means any tribe or tribal community or part of or group within tribe or tribal community specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under article 342 of the Constitution of India;

(i) "Service" means the Government Music and Fine Arts College Class-IV Service.

3. **Classification, scale of pay, etc.-** The classification of service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto, method of recruitment, age limit and other matters shall be in accordance with the provisions contained in columns (3) to (12) of the Schedule.

4. **Reservation.-**(1) For the posts of direct recruitment 16% posts for the Scheduled Castes and 20% posts for the Scheduled Tribes shall be reserved in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh LokSeva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liya Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994). According to the Circular of the General Administration Department, Government of Madhya Pradesh, dated 2nd September, 2021 or as per the order issued by the Government, from time to time, 27% posts shall be reserved for Other Backward Classes candidates.

(2) Reservation in promotion shall be made for the candidates of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Civil Service (Reservation in Promotion and Limits on the Extent of Zone of Consideration) Rules, 1997.

(3) As per the provisions of the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997, 35% posts shall be reserved for women candidates as per the provisions of Circular No. C-3-8-2015-One, dated 3rd October, 2023, issued by the General Administration Department, Government of Madhya Pradesh.

(4) Fifty percent of the total number of contractual employees who have completed 5 years of continuous service on contractual posts equivalent to regular posts of direct recruitment in the department or up to 50% of the vacant posts of direct recruitment in the department (whichever is less), shall be reserved for appointment of contractual employees vide the circular of the Government of Madhya Pradesh, General Administration Department bearing No. C-5-2/2018/1/3, dated 22nd July, 2023. Once they have taken advantage of the reservation facility under these instructions or the earlier instructions referred to, they shall not be eligible for the benefit again.

(5) 10% of total vacant posts shall be reserved for the candidates belonging to the Economically Weaker Section vide the Circular No. F-07-11/2019/आ.प्र./one, dated 2nd July, 2019 and Circular No. F-07-11/ 2019/आ.प्र./one, dated 18th July, 2019 of the Government of Madhya Pradesh, General Administration Department or any other order issued, from time to time.

5. Probation.- Every person selected in the service by direct recruitment shall be appointed on probation for a period of three years. During this period an amount of 70% for 1st year, 80% for 2nd year and 90% for 3rd year of minimum pay scale of the post shall be payable as the stipend. The pay in the pay scale shall be started after completion of probation period successfully.

6. Interpretation.- If any question arises regarding the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government through the Director, Culture Directorate, on which its decision thereon shall be final.

7. Relaxation.- Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to him to be just and suitable:

Provided that the case shall not be dealt within any manner less favourable to him than that provided in these rules.

8. Saving.- Nothing in these rules shall effect reservation and relaxation provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and compassionate appointment to one of the family members of the Government employees, who died during service period, handicapped persons and other persons belonging to other categories and shall be regulated in accordance with the orders issued by the State Government, from time to time, in this regard.

9. Repeal and Saving.- All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

Schedule

S. No.	Name of Post	No. of Post	Classi-fication	Pay Scale	percentage of posts to be filled by recruitment	For direct Recruitment		Duration of Probationer	Whether age and educational qualifications shall be applicable in the case of promotions, as it is applicable in direct recruitment	In case of recruitment by promotion, the same post from which the promotion shall be made	Committee for direct recruitment and promotion
						Age	Educational Qualification				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A - GOVT. MUSIC COLLEGE.											
1	Peon	16	Class-IV	Level-1 15500-49000 (4440-7440+1300)	100%	18 years to 40 years	8 th standard passed	3 Years	--	--	1. Deputy Director – Chairman 2. Assistant Director – Member 3. Assistant Director belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes category - Member
2	Chowkidar	09	Class-IV	Level-1 15500-49000 ((4440-7440+1300)	100%	18 years to 40 years	8 th standard passed	3 Years	--	--	--"--
3	Sweeper	04	Class-IV	Level-1 15500-49000 (4440-7440+1300)	100%	18 years to 40 years	8 th standard passed	3 Years	--	--	--"--
B - GOVT. LALIT KALA COLLEGE.											
1	Peon	15	Class-IV	Level-1 15500-49000 (4440-7440+1300)	100%	18 years to 40 years	8 th standard passed	3 Years	--	--	1. Deputy Director – Chairman 2. Assistant Director – Member 3. Assistant Director belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes category - Member
2	Chowkidar	05	Class-IV	Level-1 15500-49000 (4440-7440+1300)	100%	18 years to 40 years	8 th standard passed	3 Years	--	--	--"--
3	Sweeper	01	Class-IV	Level-1 15500-49000 (4440-7440+1300)	100%	18 years to 40 years	8 th standard passed	3 Years	--	--	--"--

Note: .-

1. The minimum/ maximum age limit shall be in accordance with the Memorandum No. 3-8/2016/1/3, dated 4th July, 2019 issued by the Government of Madhya Pradesh, General Administration Department, as amended from time to time.

2. For the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Government/Corporation/ Board/Autonomous Body Employees/City Soldier/Disabled/ Women (Unreserved/Reserved) etc., the age limit shall be 18 years to 45 years (5 years relaxation in the maximum age limit).

3. For all the posts, it shall be mandatory for the candidates to be registered alive in the employment office of the State of Madhya Pradesh.

4. **Sangeet Shiksha:**

(a) **Peon-** The bifurcation of total posts of Peon in Sangeet Shiksha shall be 10+1+4+1=16.

(b) **Chowkidar-** The bifurcation of total posts of Chowkidar in Sangeet Shiksha shall be 6+1+2=9.

(c) **Sweeper-** The bifurcation of total posts of Sweeper in Sangeet Shiksha shall be 1+3=4.

5. **Lalit Kala Shiksha:**

(a) **Peon-** The bifurcation of total posts of Peon in Lalit Kala Shiksha shall be 12+2+1=15.

(b) **Chowkidar-**The bifurcation of total posts of Chowkidar in Lalit Kala Shiksha shall be 3+2=5

(c) **Sweeper-** On transfer of the college, 1 post of sweeper has been included in the rules as per the Order of the Commissioner of the Higher Education Department's Order No. 570/2922/06/02/38, dated 4th April, 2007.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SUNIL DUBEY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2024

क्रमांक एफ 01/01/34/0001/2024/तीस:: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद् द्वारा मध्यप्रदेश पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात –

संशोधन

(1) अनुसूची-एक में, कालम संख्या (2) में संयुक्त संचालक के पद तथा उससे संबंधित प्रविष्टयों के स्थान पर, निम्नलिखित पद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाए, अर्थात:-

विभाग का नाम	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय (राजपत्रित सेवा)	संयुक्त संचालक	01	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (एल-14)	-

(2) अनुसूची-दो में, कामल संख्या (2) में संयुक्त संचालक के पद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित पद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाए, अर्थात:-

विभाग का नाम	सेवा का नाम	कुल पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या प्रतिशतता			अभियुक्तियां
			सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा	-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
संस्कृति विभाग, पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय संचालनालय	संयुक्त संचालक	01	-	100 प्रतिशत	-	"पदोन्नति के लिए उपयुक्त व्यक्ति न मिलने की दशा में, प्रतिनियुक्ति या अन्य सेवाओं से किन्हीं व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा जैसा कि शासन द्वारा प्रत्येक अवसर पर अवधारित किया जाए, भरा जाएगा।"

(3) अनुसूची-चार में, कालम संख्या (2) में अनुक्रमांक 4 तथा 6 एवं उनसे संबंधित प्रविष्टयों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाए, अर्थात:-

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा का अनुभव	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों का नाम
1	2	3	4	5
संस्कृति विभाग, पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय संचालनालय	(4) उपयंत्री/ अनुरक्षण सहायक/ प्रमुख मानचित्रकार/ मानचित्रकार	सिविल इंजीनियर में स्नातक उपाधि धारक के लिए 5 वर्ष का अनुभव तथा सिविल इंजीनिय्रिंग में डिप्लोमाधारी के लिए 8 वर्ष का अनुभव	सहायक यंत्री	1. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य – अध्यक्ष 2. प्रमुख सचिव/सचिव, संसकृति विभाग – सदस्य 3. आयुक्त/संचालक, पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय – सदस्य 4. उप सचिव, संस्कृति विभाग, संयोजक – सदस्य सचिव टीप:-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई प्रतिनिधि न होने की दशा में उस वर्ग का समान पद-श्रेणी का अधिकारी सम्मिलित किया जाएगा।
	6.(क) वरिष्ठ मार्गदर्शक (ख) तकनीकी सहायक(उत्खनन)/ तकनीकी सहायक (लेखन/पर्यवेक्षक	(क) 05 वर्ष (ख) 08 वर्ष	पुरातत्ववेत्ता-सह-संग्रहाध्यक्ष, कीपर	- तदैव -

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुनील दुबे, उपसचिव.

Bhopal, the 30th October 2024

S.No. F 01/01/34/0001/2024/30 :: In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, Madhya Pradesh, Archaeological Archives and Museums (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2019, namely -

AMENDMENT

(1) In Schedule-I, in colum number (2), for the post of Joint Dirrecot and entries relating thereto, the following Post and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

Department Name	Name of posts included in the service	Number of posts	Classification	pay scale	comment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"Directorate of Archaeology, Archives and museum (Gazetted Service)	Joint director	01	Class-1	79900-211700 (L-14)	-

(2) In Schedule-II, incolumn number (2), for the post of Joint Director and entries telating thereto, the following post and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

Department Name	Name of service	Number of total posts	Number of Post to be filled percentage			Comments
			By Direct Recruitment	By promotion	By Transfer	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Culture Department Directorate of Archaeology, Archives and museum (Gazetted Service)	Joint director	01	-	100 %	-	In case of non-availability of suitable persons for promotion, it shall be filled by deputation or transfer of persons from other services as may be determined by the Government on each occasion.

(3) In Schedule-Four, in place of serial number 4 and 6 entries related thereto, the following entries should be inserted,

Department Name	Name of the post to which promotion is to be made	service experience	Name of the post from which promotion is to be made	Name of members of departmental promotion committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Culture Department Directorate of Archaeology, Archives and museum	(4) Sub-Engineer/ Maintenance Assistant/ Head Draftsman/ Draftsman	5 years experience for graduate degree holders in civil Engineering and 8 years experience for Diploma holders in Civil Engineering.	Assistant Engineer	1. Chairman, Public Service Commission for a member nominated by him – Chairman 2. Principal Secretary/Secretary, culture Department – Member 3. Commissioner/Directro, Archaeology. Archives and Museum – Member 4. Deputy Secretary, culture Department Co-ordinator – Member Secretary **Note:** in case there is no representative of Scheduled Castes/Scheduled Tribes then the officer of equal rank of that cadre shall be included.
	5. (a) Senior Guide (b) Technical Assistant (Excavation) / Technical Assistant (Writing) / Supervisor	(a) 5 years (b) 8 years	Archaeologist-cum-Curator, Keeper	-do-

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SUNIL DUBEY, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2024.